

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

दिनांक: 07.08.2023

क्रमांक : स्था./प.01/2023/205

—: आदेश :-

तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित निम्न लिखित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को
01	श्री भंवर सिंह	रीडर ग्रेड-तृतीय, न्या. सि.न्या. एवं न्या. मजि. नादौती	लिपिक ग्रेड-प्रथम/अभिलेखपाल, जिला न्यायालय, करौली
02	श्री विकास कुमार सबल	लिपिक ग्रेड-प्रथम, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. टोडाभीम	शरिस्तेदार ग्रेड-तृतीय, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. टोडाभीम
03	श्री जगमोहन मीना	लिपिक ग्रेड-प्रथम, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. टोडाभीम हाल कार्यरत न्या. अति. मुख्य न्या. मजि. टोडाभीम	रीडर ग्रेड-तृतीय, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. टोडाभीम
04	श्री सूरज प्रकाश महावर	लिपिक ग्रेड-प्रथम, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. नादौती	शरिस्तेदार ग्रेड-तृतीय, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. नादौती
05	श्री राकेश कुमार गुप्ता	लिपिक ग्रेड-प्रथम, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. सपोटरा	रीडर ग्रेड-तृतीय, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. नादौती
06	श्री मुदेश कुमार	लिपिक ग्रेड-द्वितीय, जिला न्यायालय, करौली	लिपिक ग्रेड-द्वितीय, न्या. सि.न्या. एवं न्या. मजि. सपोटरा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./प.01/2021/218 दिनांक 29.10.2021 द्वारा क्रम संख्या 03 पर अंकित कर्मचारी श्री जगमोहन मीना को आगामी आदेश तक न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम में लगाया हुआ है। श्री मीना के संदर्भ में उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


क्रम संख्या 01 व 05 पर अंकित कर्मचारी श्री भंवर सिंह एवं श्री राकेश कुमार गुप्ता का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनकी स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है। अतः उक्तांकित कर्मचारीगण को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यग्रहण काल, यात्रा भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं है।

क्रम संख्या 02 पर अंकित कर्मचारी श्री विकास कुमार सबल आगामी आदेश तक न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम में सहायक नाजिर के पद का कार्य संपादित करेंगे।

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम श्री जगमोहन मीना को अविलम्ब कार्यमुक्त कर मूल पदस्थापन न्यायालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें तथा कर्मचारी की कार्यमुक्ति एवं कार्यभार हस्तांतरण प्रमाण-पत्र की 02 अभिप्रमाणित प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संबंधित पीठासीन अधिकारीगण उक्त स्थानान्तरित कर्मचारीगण को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवीन पदस्थापन न्यायालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें तथा कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति व उपस्थिति की सूचना तथा कार्यभार हस्तांतरण की 02 अभिप्रमाणित प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें। स्थानान्तरित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्त होने की तिथि से नवीन पदस्थापन न्यायालय में तीन दिवस अवधि में कार्यभार ग्रहण करें।

इस आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवा-पुस्तिका में किया जावे।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

दिनांक: 07.08.2023

क्रमांक : स्था./प.01/2023/5339-49


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली

2. संबंधित न्यायालय

3. संबंधित कर्मचारी

4. आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)